

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012

दिनांक: 29 दिसंबर, 2022

सेवा में,

श्री मंतोष कुमार
ब्लॉक न० 1, कमरा संख्या-203
मोहन रोड, लखनऊ - 226017
(उत्तर प्रदेश)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री मंतोष कुमार, उ० प्र०, दिल्ली से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00099 दिनांक 29.11.2022.

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना मॉगी गई है ।

उपरोक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि उक्त पंजीकरण संख्या के साथ प्राप्त आपके दिनांक शून्य के संलग्न पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संबंधित जवाब इस निदेशालय के दिनांक 19.09.2019 के पत्र सं. मि . 29-24/2019-स्थापना/आर.टी.आई/915-34 के अंतर्गत पहले ही भेज दिया गया है (प्रति संलग्न)।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25849881 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

दीपा
29/12/2022
(दीपा पांडे)

उप० निदेशक (प्रशासन) एवं सी.पी.आइ.ओ.

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज व अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

81No 46 (F)

मि.सं. 29-24/2019-स्था.(आरटीआई) 915-34

भारत सरकार
विस्तार निदेशालय कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

(158)

कृषि विस्तार भवन,
आईएसआरआई कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012

दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

सेवा में

श्री मंतोष कुमार
ब्लॉक नं० 1, कमरा संख्या-203
मोहन रोड, लखनऊ - 226017
(उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री० मंतोष कुमार, उत्तर प्रदेश का प्रार्थना पत्र (पंजीकरण संत्र डीओए एण्ड सी/आर/2019/01537 दिनांक 20.08.2019)।


महोदय,

आपके पत्र दिनांक 20.08.2019 जिसके तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी है, जो इस कार्यालय में दिनांक 22.08.2019 को प्राप्त हुआ है। आपके उक्त पत्र में 15 बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना इस निदेशालय से सम्बंधित नहीं है। अतः सूचना शून्य मानी जाए।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डॉ प्रशांत आरमोरिकर,
निदेशक (विस्तार प्रशिक्षण)
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
क.सं. 203, कृषि विस्तार भवन,
आईएसआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012
011-25843404, ई-मेल पता : p.armorikar@nic.in

भवदीय


(वाई० पी० भट्ट)

उप० निदेशक (प्रशासन) एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
दूरभाष : 011-25846467

ई-मेल : bhatt.yogender@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. अवर सचिव (विस्तार) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, विस्तार प्रभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आरटीआई), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, आई० टी० डिविजन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या 318, कृषि भवन, नई दिल्ली को आरटीआई उत्तर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।